बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

अधिसूचना

सं0–प्र01/क्षे0 स्था0–34/01 13 पटना, दिनांकः– 29/12/2016

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा–117 की उपधारा–2 (बी) के तहत् केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियम–2010 (विद्युत सुरक्षा एवं आपूर्ति संबंधी उपाय) के विनियम–29 के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या–276/स0को0, दिनांक 08.07.2013 के द्वारा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में लाइसेंसिंग बोर्ड गठित है।

2. तदनुसार राज्य के प्रत्येक जिला में जिलाधिकारी द्वारा उप समाहर्त्ता स्तर के पदाधिकारी लाइसेंसिंग बोर्ड के सचिव नियुक्त किय गए है, परन्तु पुराने दस्तावेज के अभाव में जिला स्तर पर लाइसेंस नवीकरण का कार्य प्रभावित है।

3. अतएव लाइसेंस नवीकरण से संबंधित सभी पुराने दस्तावेजों जिलाधिकारी कार्यालय को उपलब्ध होने तक विभागीय अधिसूचना संख्या–01, दिनांक 02.01.2014 के आलोक में पुराने लाइसेंस (ठेकेदारों को लाइसेंस और पर्यवेक्षकों तथा तारमिस्त्रियों (वायरमैन) के प्रमाण–पत्रों एवं परमिटों) के नवीकरण का कार्य पूर्व की भांति श्री अरविन्द कुमार, सचिव, पूर्व लाइसेंसिंग बोर्ड, विद्युत निरीक्षणालय, पटना के द्वारा किया जाएगा।

ह0/–
(विनोदा नन्द झा),
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांकः– प्र01/क्षे0 स्था0–34/01 3767 /दिनांकः– 29/12/2016

प्रतिलिपिः–अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (हो0) कं0 लि0, पटना/सभी जिलाधिकारी, बिहार/प्रबंध निदेशक, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0, पटना/प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0, पटना/ मुख्य/वरीय विद्युत निरीक्षक एवं सचिव, पूर्व लाइसेंसिंग बोर्ड, विद्युत निरीक्षणालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।